ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण

संख्या-48/2021/97429/2021/16-3099/86/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 14.09.2021

विषयः- प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0, के नियंत्रणाधीन कार्यरत संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश क्षमता का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-280049/ई-प्लान-12ए 2021-22 दिनांक 01.09.2021 तथा पत्र संख्या-28695/ई-प्लान-12ए 2021-22 दिनांक 03.09.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में किए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 47343 सीटों की प्रवेश क्षमता संलग्न सूची में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित संस्थाओं में छात्र/छात्राओं का प्रवेश निर्धारित सीटों तक ही किया जायेगा तथा जिन संस्थाओं के लिये प्रवेश क्षमता का निर्धारण किया गया है, उन संस्थाओं में प्रवेश/पंजीकरण के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

3- समस्त राजकीय/अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिये उक्त निर्धारित 47343 सीटों पर काउन्सिलिंग के पूर्व समस्त तथ्यों एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन की स्थिति सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से भी सुनिश्चित कर ली जायेगी।

4- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद भी छात्रों का पंजीकरण करते समय यह पुष्टि कर लेंगे कि उक्त सभी सीटें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं।

5- निर्धारित सीटों पर प्रवेश में आरक्षण संबंधी अद्यावधिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- फार्मेसी पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रवेश क्षमतानुसार पी0सी0आई0, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश किया जायेगा।

7- कृपया उपरोक्तानुसार संबंधित को अवगत कराते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(सुनील कुमार चौधरी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली।
2- क्षेत्रीय कार्यालय ए0आई0सी0टी0ई0, विकास नगर, कानपुर।
3- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
5- निदेशक, आई0ई0आर0टी0, प्रयागराज।(द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0)
6- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, कानपुर।
7- निदेशक, ए0आई0टी0एच0, उ0प्र0 कानपुर (द्वारा निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0)
8- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
9- संबंधित संस्थाओं के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0)
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,